संख्या- 15/2018/140/24-1-18-81 पी/2015

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2018**

विषय:-विद्युत सुरक्षा निदेशालय को वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2251 मु/एक-5(बजट)/2017-2018, दिनांक 05 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-03- विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में प्राविधानित धनराशि 1,36,40,000/- (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख चालिस हजार मात्र) में से धनराशि 1,00,40,000/- (रूपये एक करोड़ चालिस हजार मात्र) को संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से विद्युत सुरक्षा निदेशालय को अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-03- विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद 01- वेतन, 02- मजदूरी, 03- मंहगाई भत्ता, 06- अन्य भत्ते, 08- कार्यालय व्यय, 16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 17- किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व एवं 49- चिकित्सा व्यय में स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा क्षेत्रीय/ जोनल कार्यालयों के लिए धनराशि का तत्काल आवंटन कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) आय-व्ययक को आकस्मिक मदों में व्यय एवं वस्तुओं को क्रय करते समय उ0प्र0 स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी आदेशों का पालन विशेष ध्यान रख कर किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष ''2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क - 03 - विद्युत सुरक्षा निदेशालय'' के नामे डाला जायेग।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-08/दस-2018, दिनांक 08 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 15/2018 /140(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

डा0 संजीव भारद्वाज
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in